

पत्र संख्या-14/वि.वि.प.-11-05/2011 का. 10555
 भारत सरकार,
 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रकृ,
 सेवा में,

प्रमोद कुमार तिवारी,
 सरकार के उप सचिव।

सभी अंशाधिकारी,

सभी प्रकृत विकास पदाधिकारी,

सभी अनुमोदनाधिकारी, भारत सरकार, रांची।

रांची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 2013

विषय:- जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार की इस बात की जानकारी मिली है कि जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बहुतों समय पत्र की मांग की जाती है, जबकि जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी सरकारी अनुदेशों में समय पत्र की अपेक्षा नहीं की गई है।

अतः कहना है कि तत्सम्बन्धी कठिनाई एवं स्थानीय स्तर पर जाति का प्रतिवेदन के अनुसार जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सम्बन्धित यथा- निर्धारित अवधि में निर्गत करने का कष्ट किया जाय।

किष्कासमान,

ह/-

सरकार के उप सचिव।

सूचना

ज्ञापक-14/वि.वि.प.-11-05/2011 का. 10555 / रांची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 13

प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त/सभी प्रकृत विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यादि प्रेषित।

ह/-

ज्ञापक-14/वि.वि.प.-11-05/2011 का. 10555 सरकार के उप सचिव।
 रांची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 13

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव को उनके अर्द्ध सरकारी पत्र सं०-2459 दिनांक-22.08.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Skopus